Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **कोटा में भू–अभिलेख निरीक्षक (कानूनगो) व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को 8 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *6 अप्रैल।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की कोटा इकाई द्वारा आज मंगलवार को कार्यवाही करते हुये कार्यालय तहसीलदार तहसील कोटा के भू–अभिलेख निरीक्षक (कानूनगो) योगेन्द्र सिंह चौहान व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बाबूलाल को 8 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की कोटा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मेरे नाना का इन्तकाल होन पर मैंने उक्त जमीन का इन्तकाल खुलवाया तो आरोपी योगेन्द्र सिंह चौहान कानूनगो ने फोन करके बाबूलाल से मिलने के लिए कहा और यह भी कहा कि तुमने बिना खर्चा दिये ही इन्तकाल खुलवाया लिया है अगर तुम हमसे आकर नहीं मिले तो तुम्हारा ये इन्तकाल कैसिंल करवा दूंगा।

जिस पर एसीबी की कोटा इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ठाकुर चन्द्रशील कुमार** के नेतृत्व में शिकायत का गोपनीय सत्यापन करवाने पर सत्यापन के दौरान योगेन्द्र सिह चौहान व बाबूलाल ने इंतकाल निरस्त करने की धमकी देकर अन्य व्यक्ति के नाम इंतकाल खोलने की धमकी दी एवं 10 हजार रूपये रिश्वत की मांग की, जिस पर आज टीम की **पुलिस निरीक्षक श्रीमती चन्द्रकंवर** द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये **योगेन्द्र सिंह चौहान** पुत्र श्री सुखपाल सिंह निवासी 24 गली नम्बर 9, सरस्वती कॉलोनी बारां रोड कोटा **हाल भू–अभिलेख निरीक्षक (कानूनगो) कार्यालय तहसीलदार तहसील कोटा** व **बाबूलाल जागा** पुत्र श्री नंदलाल नि0 155 रामजानकी मंदिर के पास केशवपुरा कोटा हाल **चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय तहसीलदार तहसील कोटा** को परिवादी से **8 हजार रुपये रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों की ए.सी.बी. टीमों द्वारा तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्व अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।